कार्यवाही विवरण

विषयः– **राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी की बैठक का कार्यवाही विवरण ।**

दिनांक 1.5.2010 को श्री पी.जाय उमेन, मुख्यसचिव छ.ग.शासन एवं अध्यक्ष SLNA की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय नोडल एजेंसी, SLNA की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई ।

बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुए :–

(i) श्री डी.एस.मिश्र, प्रमुख सचिव कृषि एवं कृषि उत्पादन आयुक्त,

(ii) श्री पी.सी.दलेई, प्रमुख सचिव, वन,

(iii) श्री पी.सुब्रमन्यम, आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (MG NAREGA),

(iv) श्री देवाशीष दास, विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA),

(v) डॉ. शमशेर सिंह, अपर आयुक्त एवं चीफ टेक्नीकल एडवाईजर NRAA (नेशनल रेनफेड अर्थार्टी, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार),

(vi) श्री आशीष चक्रवर्ती, केन्द्रीय निर्देशक, केन्द्रीय भूमि जल बोंर्ड, रायपुर,

(vii) डॉ. एस.के. पाटील, संचालक, अनुसंधान सेवाएं इँदिरागांधी कृषि वि.वि.रायपुर,

(viii) श्री पी.के.दवें, उप सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (SLNA),

(ix) श्री सी.के.खत्री, अपर संचालक (वित्त), विकास आयुक्त कार्यालय

(x) श्री एस.के.जेना, सहायक प्रबंधक, नाबार्ड, रायपुर,

(xi) श्री जे.के सामल, सहायक जनरल मैनेजर, नाबार्ड, रायपुर,

(xii) श्री बी.के.साहू वैज्ञानिक केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर,

(xiii) श्री जी.के.मिश्रा, तकनीकि अधिकारी एवं विशेषज्ञ SLNA,

बैठक के प्रारम्भ में विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मुख्य सचिव छ.ग.शासन, प्रमुख सचिव कृषि एवं उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव वन विभाग, आयुक्त, MGNREGA तथा अपर आयुक्त (Add. Comm.) एवं चीफ टेक्नीकल एडवाईजर NRAA नई दिल्ली एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों से उपस्थित अधिकारियों एवं SLNA के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव महोदय से परिचय कराया।

विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं CEO, SLNA द्वारा पावर पाईंट के माध्यम से एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा प्रस्तुत की गई :–

डा क्रमांक 1:–

पूर्व बैठक दिनांक 8.10.2009 के कार्यवाही विवरण की पुष्टी (कार्यवाही विवरण एवं पालन प्रतिवेदन **परिशिष्ट–1** पर संलग्न)

निर्णय :–पूर्व बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

क्रमांक 2 :–

GIS Cell में उपयोग हेतु GoI MoRD, DoLR के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009 IWMP, दिनांक 29.09.2009 के दिशा निर्देश तथा माह दिसम्बर–जनवरी में GoI से प्राप्त सुझाव अनुसार अतिरिक्त सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर भारत सरकार के उपक्रम से नियमानुसार क्रय की कार्यवाही की गई।

निर्णय :–चर्चा उपरांत सर्व सहमति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

जेण्डा क्रमांक 3 :–

SLNA अंतर्गत GIS Cell एवं अधिकारी/कर्मचारियों के बैठने एवं आवश्यक अभिलेख रखने आदि के लिए आवश्यक सामग्री निम्नानुसार है :–

1. संयुक्त संचालक/उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी :– 1 टेबल, 1 कुर्सी
2. तकनीकि अधिकरी
3. प्रशिक्षक विशेषज्ञ

} 4 टेबल एवं 4 कुर्सी

4. लेखा अधिकारी – 1 टेबल एवं 1 कुर्सी
5. GIS Cell हेतु – 1 बड़ा टेबल एवं 3 कुर्सी
6. रिकार्ड रखने हेतु स्टील आलमारी – 04

उपरोक्त सामग्री क्रय करने हेतु मुख्य सचिव/ अध्यक्ष SLNA से अनुमोदन उपरांत CSIDC से पत्राचार किया गया । CSIDC में उपलब्ध सामग्रियों की दरों की सूची नेट पर उपलब्ध हैं, के अनुसार CSIDC में उक्त सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उद्योग विभाग से, CSIDC के माध्यम से सामग्री क्रय करने की आवश्यकता, बाध्यता में छूट के लिए प्रस्ताव उद्योग विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति अपेक्षित है । SLNA के कार्यालय के सुचारू कार्य संचालन तथा GIS Cell को प्रारम्भ करने के लिए उक्त सामग्रियों की (अनुमानित कीमत लगभग 2.80 लाख) की तत्कालीक आवश्यकता है । उक्त सामग्री संक्षिप्त टेंडर अथवा रजिस्ट्रार, मंत्रालय (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया अनुसार क्रय किये जाने की अनुमति चाही गई।

निर्णय :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार उपरांत उपरोक्तानुसार आवश्यक सामग्री क्रय छ.ग. भंडार क्रय नियम के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार स्वीकृति/सहमति दी गई ।

जेण्डा क्रमांक 4 :–

SLNA को विकास आयुक्त कार्यालय भवन का क्रक्ष क्रमांक 211 आबंटित किया गया है । उक्त कक्ष में GIS Cell, प्रभारी अधिकारी, तकनीकि अधिकारीयों का कक्ष तैयार करने हेतु ऐल्मुनियम पार्टीशन, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के माध्यम से, SLNA अंतर्गत प्राप्त प्रशासनिक मद की राशि 35.00 लाख में से 1.94 लाख रूपये में अध्यक्ष SLNA से अनुमोदन प्राप्त कर, कराया गया ।

निर्णय :– चर्चा उपरांत कार्यवाही पर सर्वसहमति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

क्रमांक 5 :–

नवीन स्वीकृत 29 IWMP परियोजनाओं की राज्यांश राशि 1.092360 (एक करोड़, नौ लाख, तेईस हजार छः सौ रूपयें) करोड़ विभाग के पत्र क्रमांक 1054 दिनांक 27.03.10 द्वारा सर्व संबंधित (15 जिलो) को वित्त विभाग की सहमति से विमुक्त । कृत कार्यवाही अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई ।

निर्णय :– SLNA कृत कार्यवाही से अवगत हुआ ।

एजेण्डा क्रमांक 6 :–

प्रशासनिक मद अन्तर्गत राज्य के हिस्से की 10 % राशि SLNA हेतु 6.25 लाख रूपये एवं 12.00 लाख रूपये राज्य के 16 जिलो के वाटरशेड कम डाटा सेन्टर हेतु इस तरह कुल राशि रूपये 18.25 लाख विभाग के पत्र क्रमांक 4089 दिनांक 25.03.10 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से विमुक्त किया गया । कृत कार्यवाही अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई ।

निर्णय :– SLNA कृत कार्यवाही से अवगत हुआ ।

एजेण्डा क्रमांक 7 :–

भारत सरकार के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009 IWMP दिनांक 29.09.2009, Z-11011/20/2009-PPC दिनांक 11.01.2010 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में डाटा ऐन्ट्री आपरेटर का 01 पद Out Source द्वारा भरे जाने हेतु NIC/NICSIC (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से कार्य की आवश्यकता को देखते हुए अध्यक्ष SLNA से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर 06 माह हेतु रूपये 7848/- प्रतिमाह की दर से कुल राशि 47088 रूपये अग्रिम प्रदान किया गया है।

निर्णय :– कृत कार्यवाही पर SLNA द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।

एजेण्डा क्रमांक 8 :–

जिला धमतरी के विकास खण्ड कुरूद अंतर्गत संचालित IWDP-2 एवं IWMP-2 परियोजनाओं में पूर्व नियुक्त PIA में संशोधन हेतु धमतरी जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त :– **(परिशिष्ठ 2 में संलग्न)**

क्र.	परियोजना का नाम	पूर्व PIA का नाम	संशोधित प्रस्ताव अनुसार PIA का नाम
1	IWDP-II कुरूद	श्री आर.एस.मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुरूद	श्री जे.एल.ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग कुरूद
2	IWMP-II कुरूद	श्री आर.एस.मेहरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कुरूद	श्री जे.एल.ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उप संभाग कुरूद

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत की अनुशंसा, वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों के पास अधिक कार्य होने के फलस्वरूप अन्य PIA की नियुक्ति प्रस्तावित।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव पर कार्य की तात्कालीक आवश्यकता को देखते हुए अध्यक्ष SLNA के अनुमोदन उपरांत PIA में संशोधन आदेश जारी किये गये ।

निर्णय :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत सर्व सहमति से अनुमोदन दिया गया ।

एजेण्डा क्रमांक 9 :–

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक K-11013/9/2009-IWMP(Chhattisgarh) दिनांक 30.9.2009 द्वारा **(परिशिष्ट–3)** नवीन स्वीकृत IWMP परियोजनाओं में नियुक्त PIA में संशोधन हेतु कांकेर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त :–

क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	पूर्व PIA का नाम	संशोधित प्रस्ताव अनुसार PIA का नाम
1	कांकेर	IWMP-I भेजा, मिली वाटरशेड, भानुप्रतापपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपदपंचायत, भानुप्रतापपुर	उप–संचालक कृषि, उत्तर बस्तर कांकेर
2		IWMP-II मटकाटोला, मिली वाटरशेड, कांकेर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, कांकेर	कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र संभागवार उत्तर बस्तर कांकेर

भारत सरकार की जलग्रहण परियोजनाओं हेतु जारी कॉमन गाइड लाईन 2008 के बिन्दु 77 तथा बिन्दु 5.1 का पैरा 34 के अनुसार IWMP-II योजनाओं के PIA की नियुक्ति तथा उसमें संशोधन का अधिकार SLNA को हैं।

निर्णय :– प्रस्तुत प्रस्ताव पर वृस्तृत चर्चा हुई। चर्चा में जानकारी दी गई की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के पास विभाग की अन्य योजनाओं का अत्यधिक कार्य है जिसके कारण वे जलग्रहण योजनाओं के कार्य पर समुचित ध्यान नही दे पा रहे है। उप–संचालक कृषि कांकेर तथा समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र संभागवार जलग्रहण कार्य हेतु तकनीकि अधिकारी भी है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने उपरोक्तानुसार प्रस्ताव SLNA के समक्ष प्रस्तुत किया।

विस्तृत चर्चा उपरांत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

एजेण्डा क्रमांक 10 :–

(i) भारत सरकार के पत्र क्रमांक K-11012/11/2009-IWMP, दिनांक 29.09.2009, पत्र क्रमांक Z-11011/20/2009-PPC दिनांक 09.12.09 **(परिशिष्ट–4)**, पत्र क्रमांक Z-11011/17/2009-PPC दिनांक 11.01.2010 **(परिशिष्ट–5)** में दिये गये निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र क्रमांक F No. Z-11011/17/2009-PPC दिनांक 8 अप्रेल 2010 **(परिशिष्ट–6)** अनुसार SLNA अंतर्गत तकनीकी अधिकारी प्रतिनियुक्ति से रखना है। प्रतिनियुक्ति से अधिकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है अथवा संविदा से भी नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त माध्यम से उपयुक्त अधिकारी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में Outsource के माध्यम से रखा जाना होगा, जो SLNA में मात्र कार्य करेंगें तथा शेष जवाबदारी Service Provider की रहेगी ।

(ii) पूर्व से जलग्रहण प्रकोष्ठ अंतर्गत दो अधिकारी (तकनीकी) श्री विवेक सिंग ठाकुर तथा श्री कुण्डलेश्वर पाणिग्राही (पर्यवेक्षण अधिकारी) कार्य कर रहे है। इन अधिकारियों की संविदा नियुक्ति अवधि क्रमशः दिनांक–23.12.2010 एवं दिनांक–27.10.10 तक ही है।

(iii) भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार, सीधी भर्ती से रखे जाने वाले संविदा नियुक्त अधिकारियों के वेतन का Reimbursement इसी शर्त पर किया जावेगा, कि SLNA संबंधित अधिकारी से Under taking प्राप्त कर भारत सरकार को यह Under taking दें की संविदा/Contract पर रखे गये अधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक नहीं रखा जावेगा। भविष्य में पद समाप्त होने की स्थिति में एसे रखे गये अधिकारियों की वेतन भुगतान की जवाबदारी भारत सरकार की नहीं होगी। SLNA/राज्य सरकार उक्त नियुक्तियों (संविदा पर) का निराकरण अपने स्तर पर करेगी।

(iv) तदनुसार निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है :–

1. उक्त अधिकारियों को विकास आयुक्त कार्यालय, जलग्रहण से प्रतिनियुक्ति पर लेकर SLNA अंतर्गत कार्य कराया जावे।
2. भारत सरकार के दिशा–निर्देश अनुसार संबंधित कर्मचारियों से Under-taking ली जाकर, भारत सरकार को Under-taking दी जावे। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन देना चाहेंगें।

उपरोक्त बिंदुओं पर अनुमोदन प्रस्तावित।

निर्णय :– विभागीय प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा उपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।

ण्डा क्रमांक 11 :–

भारत शासन के पत्र क्रमांक K-11013/9/2009, दिनांक 30.09.2009 द्वारा 29 परियोजना तथा पत्र क्रमांक K-11012/9/2009, दिनांक 08.01.2010 द्वारा अतिरिक्त 12 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। कृत कार्यवाही कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।

निर्णय :– विभाग द्वारा की गई कार्यवाही पर विस्तृत चर्चा की गई तथा भारत सरकार को प्रेषित Annual Action Plan तथा DPR की तैयारी की जानकारी दी गई। तदुपरांत सर्व सम्मति से कृत कार्यवाही पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।

ण्डा क्रमांक 12 :–

29 स्वीकृत परियोजनाओं में से शेष 3 परियोजनाओं के तथा 12 नवस्वीकृति परियोजनाओं के कुल 15 परियोजनाओं के DPR एवं Annual Action Plan भारत शासन को भेजे जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, पंग्राविवि को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित।

निर्णय :– विभागीय प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया।

क्रमांक 13 :–

IWMP परियोजनांतर्गत नवीन स्वीकृत 12 परियोजनाओं के WDT सदस्यों की नियुक्ति हेतु संबंधित जिलों से क्रमशः बस्तर, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, रायपुर से प्राप्त WDT सदस्यों की सूची जिसमें योग्यता आदि दी गई है, SLNA के समक्ष प्रस्तुत की गई।

निर्णयः– प्रस्तुत विभागीय प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया की WDT सदस्यों की नियुक्ति हेतु संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस शर्त के साथ अधिकृत किया जावे कि वे नियुक्त पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जलग्रहण परियोजनाओं की कॉमन गाइड लाईन 2008 के बिंदु क्रमांक 5.3 के पैरा 40 के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता/योग्यता एवं अनुभव आदि वे रखते है। तदुपरांत नियुक्त कर SLNA को अवगत करावें।

एजेण्डा क्रमांक 14 :–

IWMP एवं DPAP परियोजनांतर्गत मार्च अंत की प्रगति का प्रस्तुतीकरण उपसचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया।

निर्णयः– प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन पर विस्तृत चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1. IWDP एवं DPAP परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्व करने हेतु सर्व संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को निर्देश दिया जावे।
2. जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो की सतत् निगरानी रखी जावे। इस निगरानी हेतु प्रत्येक स्तर पर इस हेतु जवाबदारी निर्धारित की जावे।
3. मध्यावधि मूल्यांकन का कार्य सतत् कराया जावे। कुछ जलग्रहण परियोजनाओं के मुल्यांकन कार्य का प्रतिवेदन अगली SLNA की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
4. भारत सरकार के द्वारा इंदिरागांधी कृषि विश्व विद्यालय के वैज्ञानिकों से मुल्यांकन का कार्य कराने हेतु अनुमोदन दिया है अतः इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय के इस कार्य में विशेषज्ञ वैज्ञानिक से मुल्यांकन कार्य कराया जावे।
5. भारत सरकार को भेजे गये किश्त प्रस्तावों पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर तत्काल भारत सरकार को भेजकर आगामी किश्त प्राप्त करें।
6. जिन परियोजनाओं में 50% अथवा उससे अधिक राशि का व्यय हो गया है उनमें आगामी किश्त प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावें।

ण्डा क्रमांक 15 :–

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शी सिद्वांत 2008 के पैरा 86 तथा संयुक्त सचिव, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक S-11012/3/2009-DPAP, दिनांक 04.01.2010 **(परिशिष्ट–7)** के परिपालन में सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था के संबंध में MGNREGA के अनुसार जारी दिशा–निर्देश प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः– प्रस्तुत दिशा–निर्देश का अवलोकन तथा उस पर चर्चा उपरांत सर्व सम्मति से जारी दिशा–निर्देश पर अनुमोदन दिया गया।

क्रमांक 16 :–

वर्ष 2010–11 हेतु IWMP परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजने बाबत्।

भारत सरकार की स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 23.12.2010 को मौखिक रूप से 3.00 लाख हेक्टयर की नई परियोजनाएं प्रस्तुत करने कहा गया। तदनुसार वर्ष 2010–11 हेतु 3.00 लाख हेक्टयर की परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर जिलेवार चयनित की गई है। भारत सरकार की कॉमन गाइड 2008 में निहित प्रावधान तथा निर्देश बिंदु क्रमांक 34 एवं 35 के अनुसार जिलेवार परीक्षण SLNA कार्यालय में किया जाकर शासकीय PIA का प्रस्ताव **(परिशिष्ट–8 व 9)** पर तथा स्वयं सेवी संस्था (NGOs) PIA प्रस्ताव **(परिशिष्ट–10 व 11)** पर संलग्न अनुसार पावर पाईंट प्रस्तुतीकरण किया गया।

निर्णयः– प्रस्तुत प्रस्तावों पर समग्र रूप से चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. शासकीय PIA के प्रस्ताव पर प्रपत्र–2 में दिये गये विवरण अनुसार अनुमोदन दिया गया।
2. स्वयं सेवी संस्था (NGO) PIA के प्रस्ताव प्रपत्र 4 अनुसार अनुमोदित करने के साथ भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। किंतु उक्त NGOs के संबंध में प्रमुख सचिव, वन के सुझाव पर SLNA में निर्णय लिया गया कि NGO संस्था "ब्लेक लिस्टेड" नहीं है, सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावेः–
    1. NGOs Black listed (काली सूची) में दर्ज है अथवा नहीं सुनिश्चित किया जावे।
    2. केंद्रीय सहायता से संचालित विविध योजना संचालन की दशा में संबंधित विभाग से काली सूची में नहीं डाला गया है, विषयक प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त किया जावे।
    3. राज्य शासन के अन्य विभाग जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों से काली सूची में नहीं डाला गया है, संबंधित संस्था द्वारा संतोषप्रद कार्य संचालन किया गया है तथा कार्य मूल्यांकन संबंधित विभाग से प्राप्त किया जावे।
    4. समस्त NGOs के फर्म्स एवं सोसायटी से पंजीयन, पंजीयन के साथ नवीनतम बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस् की सूची, संस्था के उद्देश्य नियमावली, संस्था का कार्यक्षेत्र ईत्यादि दस्तावेज मूल प्रति की सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी एवं विवरण प्राप्ति पश्चात् यदि किसी NGO के प्रकरण में त्रुटि प्राप्त होती है तो संबंधित PIA के संशोधन की कार्यवाही SLNA द्वारा की जावेगी।

प्रस्तुत जानकारी पर चर्चा उपरांत धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18.5.2010

(पी.के.दवे)
उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं
उप–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA

पृ. क्रमांक 1705/SLNA/10 रायपुर, दिनांक 18/05/10

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टॉफ आफिसर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रमुख सचिव, कृषि एवं वन विभाग मंत्रालय, रायपुर,
4. सचिव, कृषि एवं पशुपालन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
5. आयुक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रायपुर,
6. विशेष सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA मंत्रालय, रायपुर
7. विशेष सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
8. डॉ. सचदेव सिंह, उपायुक्त, राष्ट्रीय वर्षा जनित क्षेत्र विकास प्राधिकरण (NRAA), NASC काम्पलेक्स, देव प्रकाश, शास्त्री मार्ग, पूसा नई दिल्ली,
9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, मंत्रालय, रायपुर,
10. श्री आशीष चक्रवर्ती, केंद्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर
11. श्री पी.एल. कुलकर्णी, सहायक प्रबंधक नाबार्ड, छ.ग.
12. डॉ. एस.एस. शॉह, संचालक अनुसंधान सेवाएँ, इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
13. डॉ. आर.बी.एस. सेंगर, संचालक विस्तार सेवाएं इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
14. डॉ. ए.एल.राठौर, प्रमुख वैज्ञानिक इं.गां.कृ.वि.वि., रायपुर
15. श्री आर.के. राय वैज्ञानिक, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड, लालपुर, रायपुर,
16. श्री पी.के. दवे, उप–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
17. श्री एस.के. हेमराज, उप–सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, रायपुर,

को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित।

18.5.2010

(पी.के.दवे)
उप–सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं
उप–मुख्य कार्यपालन अधिकारी, SLNA